



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित) कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

www.pssou.ac.in Email- registrar @pssou.ac.in

क्रं. /मनो. वि. /2024

दिनांक 04/04/2024

// सूचना //

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर सत्र 2023-24 (जुलाई से जून) के पाठ्यक्रम बी. ए. (मनोविज्ञान) प्रथम वर्ष (ATKT), द्वितीय एवं अंतिम वर्ष के Fresh एवं ATKT में प्रवेशित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी 03 दिवसीय सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय की संपर्क कक्षाएं निम्न सारणी अनुसार आयोजित होगी। अतः उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

क्र.	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र	पाठ्यक्रम	संपर्क कक्षा की तिथि	संपर्क कक्षा का समय
01.	अंबिकापुर बिलासपुर रायपुर दुर्ग जगदलपुर कांकर जशपुर	स्नातक (बी.ए.) प्रथम वर्ष (ATKT) मनोविज्ञान	18/04/2024 से 20/04/2024 तक	प्रातः 11.30 से दोपहर 01.30 बजे तक
02.		स्नातक (बी.ए.) द्वितीय वर्ष मनोविज्ञान	18/04/2024 से 20/04/2024 तक	प्रातः 02.00 से दोपहर 04.00 बजे तक
03.		स्नातक (बी.ए.) अंतिम वर्ष मनोविज्ञान	22/04/2024 से 24/04/2024 तक	प्रातः 11.00 से दोपहर 01.30 बजे तक

संपर्क कक्षा का स्थान - सिहावा अकादमिक भवन, मनोविज्ञान विभाग पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी, बिरकोना मार्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़।

- नोट :-
01. सभी दिवस की संपर्क कक्षा में समस्त विद्यार्थी अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दें ताकि आपको पाठ्यक्रम विषयक आवश्यक निर्देश दिया जा सके।
 02. संपर्क कक्षा के पश्चात् उल्लेखित प्रायोगिक कार्य को निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालयीन समय में विभाग में आकर जमा करें।
पता - मनोविज्ञान विभाग, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर कोनी बिरकोना मार्ग पिन नं. 495009
 03. प्रायोगिक परीक्षा की सूचना संपर्क कक्षा के दौरान अथवा पृथक रूप से सूचना द्वारा दी जायेगी।
 04. उक्त समय सारणी परिवर्तनशील रहेंगी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए संपर्क कक्षा एक या दो दिन अतिरिक्त व्यवस्था से आवें।

क्रं. 1250 /मनो. वि. /2024
प्रतिलिपि :

विभागाध्यक्ष
मनोविज्ञान विभाग
दिनांक 04/04/2024

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदया जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय समन्वयक/अध्ययन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वेब सेल प्रभारी को इस सूचना के साथ इसे वि.वि. के वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सहायता प्रकोष्ठ में सूचनार्थ।
8. छात्रवास प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना।
9. कार्यालय प्रति।

S. D. Rao
विभागाध्यक्ष